



Australian Government



myagedcare



वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश
करने के लिए चरण



राष्ट्रमंडल चिह्न (कोट ऑफ आर्म्स) और जहाँ नोट किया गया है, इनके अपवाद के साथ इस दस्तावेज़ में प्रस्तुत की गई सभी सामग्री एक क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 3.0 ऑस्ट्रेलिया (<http://creativecommons.org/licences/by/3.0/au>) लाइसेंस के तहत प्रदान की गई है।

सुसंगत लाइसेंस शर्तों का विवरण क्रिएटिव कॉमन्स वेबसाइट पर उपलब्ध है (जिसे दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके देखा जा सकता है), साथ ही सीसी बाई 3.0 एयू लाइसेंस भी उपलब्ध है (<http://creativecommons.org/licences/by/3.0/au>)।

इस दस्तावेज़ को Department of Health के वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने के लिए चरण के रूप में अभिस्वीकृत किया जाना चाहिए।

हमसे संपर्क करें

लाइसेंस और इस दस्तावेज़ के किसी भी उपयोग के संबंध में पूछताछ का निम्नलिखित माध्यमों से स्वागत किया जाता है:

Communications Branch

Department of Health

ईमेल: copyright@health.gov.au

आप www.myagedcare.gov.au पर इस उत्पाद को प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

जानकारी जून 2018 तक अद्यतन है।

प्रकाशन संख्या: 12203

आदिवासी और/या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों को यह सूचित किया जाता कि इस पुस्तिका में मृत लोगों की छवियाँ हो सकती हैं।

क्या यह पुस्तिका आपके लिए सही है?

यह पुस्तिका समझाती है कि वयोवृद्ध लोग एक वृद्ध देखभाल गृह में देखभाल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वृद्ध देखभाल गृह में जाने की प्रक्रिया क्या है, और जब आप वहाँ हों तो क्या अपेक्षा करनी चाहिए।

यदि वृद्ध देखभाल आकलन दल (एसीएटी) के सदस्य द्वारा आपके लिए (या आप जिस व्यक्ति की देखभाल करते/करती हैं, उसके लिए) किसी वृद्ध देखभाल गृह में देखभाल प्राप्त करने के लिए आकलन किया गया है, तो आपको इस पुस्तिका को पढ़ना चाहिए।

अन्यथा आकलन प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा निधिकृत वृद्ध देखभाल हेतु योग्यता के बारे में जानकारी के लिए My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को **1800 200 422** पर कॉल करें या www.myagedcare.gov.au पर जाएँ:

अल्पकालीन और अनुकूल देखभाल

पुनर्स्थापना देखभाल (पुनः स्वतंत्र बनना), अस्पताल से संक्रमण या किसी दुर्घटना या रोग से बहाली जैसी स्थितियों के लिए घर या आवासीय देखभाल जैसी परिस्थितियों में अल्पकालीन देखभाल सेवाएँ।

घर पर प्रवेश-स्तर का समर्थन

राष्ट्रमंडल गृह सहायता कार्यक्रम के माध्यम से जारी रहने वाली या अल्पकालीन देखभाल और समर्थन सेवाएँ, जिनमें घरेलू काम-काजों में सहायता, व्यक्तिगत देखभाल, भोजन और खाने की तैयारी, परिवहन, खरीदारी, संबद्ध स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता और नियोजित राहत (आपके देखभालकर्ता को अवकाश देना) शामिल हैं।

घर पर और अधिक जटिल समर्थन

गृह देखभाल पैकेज कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा निर्देशित देखभाल के चार स्तरों की समेकित पैकेज सेवाएँ, जिनमें व्यक्तिगत देखभाल, समर्थन सेवाएँ और नर्सिंग, संबद्ध स्वास्थ्य और नैदानिक सेवाएँ शामिल हैं।

यह पुस्तिका

आवासीय वृद्ध देखभाल

अपने घरों में स्वतंत्र रूप से जीवन-यापन करने में असमर्थ वयोवृद्ध लोगों के लिए वृद्ध देखभाल गृहों में व्यक्तिगत और नर्सिंग देखभाल। इसमें किसी वृद्ध देखभाल गृह में थोड़े समय के लिए आवासीय राहत भी शामिल है।



myagedcare

My Aged Care को 1800 200 422 पर कॉल करें या www.myagedcare.gov.au पर जाएँ



सामग्री

वृद्ध देखभाल गृह में देखभाल.....	4
My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को कॉल करें और अपना आकलन कराएँ.....	6
आवासीय राहत देखभाल (वृद्ध देखभाल गृहों में अल्पकालीन निवास).....	9
वृद्ध देखभाल गृह में देखभाल प्राप्त करने के लिए मार्ग	10
1. शुल्कों की गणना करें	12
2. वृद्ध देखभाल गृह की खोज करें.....	18
3. वृद्ध देखभाल गृह के लिए आवेदन करें और प्रस्ताव स्वीकार करें	20
4. अपने वृद्ध देखभाल गृह के साथ समझौतों में प्रवेश करें	22
5. अपनी देखभाल और सेवाओं का प्रबंधन करें	24
और अधिक सहायता	28
जाँचसूची – शुल्कों की गणना करें और वृद्ध देखभाल गृह की खोज करें	30
जाँचसूची - समझौतों में प्रवेश करना	31
जाँचसूची – प्रवेश के लिए तैयारी करना	32



वृद्ध देखभाल गृह में देखभाल

वृद्ध देखभाल गृह (जिसे कभी-कभी नर्सिंग होम या आवासीय वृद्ध देखभाल सुविधा के नाम से भी जाना जाता है) वयोवृद्ध लोगों के लिए होता है, जो अब घर पर नहीं रह सकते हैं और उन्हें रोज़मर्रा के काम-काजों या स्वास्थ्य देखभाल के लिए निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है।

वृद्ध देखभाल गृह में रहना या जीवन-यापन करना यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपको अपने लिए आवश्यक देखभाल प्राप्त हो सके। वृद्ध देखभाल गृह आपकी निम्नलिखित कार्यों में सहायता कर सकते हैं:

- दिन-प्रति-दिन के काम-काज (जैसे साफ-सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना)
- व्यक्तिगत देखभाल (जैसे स्नान करना, कपड़े बदलना, प्रसाधन के कार्य करना, शौचालय जाना)
- पंजीकृत नर्स की देखरेख में नैदानिक देखभाल (जैसे घाव की देखभाल करना और दवाई देना)
- अन्य देखभाल सेवाएँ।

वृद्ध देखभाल गृह में आवासीय देखभाल स्थायी या अल्पकालीन आधार पर प्रदान की जा सकती है। वृद्ध देखभाल गृह में अल्पकालीन देखभाल को आवासीय राहत देखभाल कहा जाता है (पृष्ठ 9 देखें)।

वृद्ध देखभाल गृहों का स्वामित्व व संचालन ऐसे लोगों या संगठनों द्वारा किया जाता है जिनके पास आपकी देखभाल करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की मान्यता होती है। उन्हें मान्यता के कुछ मानकों को पूरा करना होता है।

सेवानिवृत्ति ग्रामों या स्वतंत्र जीवन-यापन इकाइयों जैसे निजी रूप से निधिकृत आवासीय विकल्प स्वतंत्र वृद्धजनों के लिए कई प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। उन्हें राज्य और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है और उन्हें संचालन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है।

इन निजी रूप से निधिकृत सेवाओं को अपनी सुविधाओं में गृह देखभाल पैकेजों जैसी ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा निधिकृत वृद्ध देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए भी अनुमोदन प्राप्त हो सकता है। यदि आप पात्र हों, तो आप उनसे या किसी अन्य अनुमोदित प्रदाता से वृद्ध देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने का चयन कर सकते/सकती हैं।

पात्रता

आप वृद्ध देखभाल गृह में देखभाल प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं, यदि आप:

- एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, जो अब घर पर स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है
- एक युवा व्यक्ति हैं, जो विकलांगता या मनोभ्रंश से ग्रस्त है या आपकी ऐसी अन्य विशेष देखभाल आवश्यकताएँ हैं जिन्हें अन्य विशेषज्ञ सेवाओं के माध्यम से पूरा नहीं किया जाता है।

उपलब्ध देखभाल और सेवाएँ

आपको अपनी आवश्यकतानुसार जो देखभाल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए, उनमें शामिल हैं:

- आवास से संबंधित सेवाएँ, जैसे साजो-सामान, भवनों और स्थानों का रख-रखाव, भोजन, बुनियादी प्रसाधन सामग्री और घर में सामाजिक गतिविधियाँ।
- व्यक्तिगत देखभाल सहायता, जैसे स्नान करने, भोजन करने, दवाइयों का सेवन करने और स्वास्थ्य उपचारों में सहायता।
- आपकी देखभाल की आवश्यकताओं के अनुसार देखभाल और सेवाएँ, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - > विशेष बिस्तर सामग्री
 - > चलने के लिए फ्रेम और व्हीलचेयर जैसे गतिशीलता के साजो-सामान (मोटर-चलित व्हीलचेयर और व्यक्तिगत रूप से निर्मित किए गए सहायक उपकरणों के अलावा)
 - > शौच-असंयम के लिए सहायक सामग्री
 - > नर्सिंग सेवाएँ
 - > दवाइयों का प्रबंधन
 - > भाषण चिकित्सा, पॉडियेट्री (पैरों की देखभाल) और फिजियोथेरेपी जैसी चिकित्सीय सेवाएँ।

यह एक विस्तृत सूची नहीं है। आपको अपने पसंदीदा वृद्ध देखभाल गृह के साथ अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

कुछ वृद्ध देखभाल गृहों के पास अतिरिक्त सेवाओं की सुविधा होती है, जिसका अर्थ है कि वे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर ऊँची गुणवत्ता के आवास, भोजन के और अधिक विकल्प और दैनिक समाचार-पत्र जैसी गैर-देखभाल सेवाओं के साथ स्थान प्रस्तुत करते हैं।



My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को कॉल करें और अपना आकलन कराएँ

यदि किसी वृद्ध देखभाल गृह में आवासीय राहत सहित अन्य देखभाल प्राप्त करने के लिए वर्तमान में आपका आकलन नहीं हुआ है, तो आपको (या आपके मनोनीत प्रतिनिधि को) **1800 200 422** पर My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को कॉल करने की आवश्यकता होगी। My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) कर्मी आपकी वर्तमान आवश्यकताओं और परिस्थितियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे, ताकि वे आपको आकलन के लिए संदर्भित कर सकें।

यदि आपकी देखभाल की आवश्यकताओं से पता चलता है कि आप वृद्ध देखभाल गृह में देखभाल प्राप्त करने के लिए योग्य हो सकते/सकती हैं, तो आपको अपने स्थानीय वृद्ध देखभाल आकलन दल (एसीएटी) (या विक्टोरिया में वृद्ध देखभाल आकलन सेवा (एसीएएस)) के एक सदस्य के साथ निःशुल्क आकलन के लिए संदर्भित किया जाएगा।

आपका स्थानीय एसीएटी सदस्य (जोकि सामान्यतः एक नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिक होता है) आपके घर पर आने और आपकी वर्तमान परिस्थिति के बारे में आपके साथ बात करने और सरकार द्वारा निधिकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं के लिए आपका आकलन करने के लिए समय नियुक्त करेगा।

हो सकता है कि आप किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आकलन किए जाने और आपके लिए आकलन का क्या अर्थ हो सकता है, इसके बारे में चिंतित महसूस करें। आकलनकर्ता आपकी जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ बात करने के लिए प्रशिक्षित होता है और वह समझ पाएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे/रही हैं। उसे अपनी स्थिति और अपने या अपने परिवार की सभी चिंताओं के बारे में ईमानदारी से बताएँ।

आपको अपने आकलन के लिए किसी मित्र, परिवार के सदस्य या देखभालकर्ता जैसे किसी अन्य व्यक्ति को साथ रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अगर आपको अपने आकलन के बारे में चिंताएँ हैं, तो पहली ही भेंट में अपने एसीएटी आकलनकर्ता या प्रबंधक के साथ बात करने का प्रयास करें। यदि आप एसीएटी संगठन के विवरण नहीं जानते/जानती हैं, तो My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) का संपर्क केंद्र आपको यह जानकारी दे सकता है।

यदि आप अपने एसीएटी के साथ पहले इस मुद्दे को हल नहीं कर पाते/पाती हैं, तो उनसे अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र के सरकारी विभाग प्रबंधक का संपर्क विवरण देने के लिए कहें।



आपके आकलन का परिणाम

आपके आकलन के बाद एक आकलनकर्ता आपकी देखभाल आवश्यकताओं के बारे में औपचारिक निर्णय लेगा। यदि आपका आकलन वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश के लिए पात्र होने के रूप में किया जाता है, तो आपको अपने एसीएटी से एक अनुमोदन पत्र और समर्थन योजना प्राप्त होगी, जिसमें आपको दी जाने वाली अनुमोदित देखभाल के बारे में बताया जाएगा। समर्थन योजना में एक अनन्य रेफरल कोड दिया जाएगा। यदि आप वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने का चयन करते/करती हैं, तो उस समय आपको यह कोड अपने चुने हुए प्रदाता को देना होगा। वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने के बारे में निर्णय आपकी सहमति के साथ ही लिए जाएँगे।

यदि आपको वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश के लिए अनुमोदन नहीं दिया जाता है, तो आपको एक पत्र प्राप्त होगा जिसमें इसका कारण बताया जाएगा और अतिरिक्त सहायता के लिए संपर्क विवरण दिया जाएगा। आप अन्य देखभाल और सेवाओं के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं, और इस स्थिति में यह जानकारी आपके पत्र के साथ शामिल की जाएगी।

अगर आपकी देखभाल आवश्यकताएँ किसी भी समय बदल जाती हैं, तो आप My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को कॉल करके एक नया आकलन करवाने के लिए पूछ सकते/सकती हैं।

यदि आपको अपने आकलन के निर्णय के विषय में अनुमोदन पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो आपको पहले अपने एसीएटी से संपर्क करना चाहिए या My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को कॉल करना चाहिए और एक प्रतिलिपि माँगनी चाहिए।



आपके आकलन के परिणाम के बारे में चिंताएँ

एसीएटी से प्राप्त पत्र में इस बारे में जानकारी शामिल होगी कि आप शिकायत कैसे कर सकते/सकती हैं या निर्णय के विरुद्ध अपील कैसे कर सकते/सकती हैं।

यदि आप अपने पत्र में दिए गए आकलन के परिणाम से सहमत नहीं हैं या निर्णय के बारे में किसी भी चिंता के ऊपर चर्चा करना चाहते/चाहती हैं, तो आपको पहले अपने एसीएटी से संपर्क करना चाहिए।

यदि अपने आकलनकर्ता के साथ बात करने के बाद भी आप अपने आकलन के परिणाम से सहमत नहीं हैं, तो आप स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निर्णय की समीक्षा करने के लिए पूछ सकते/सकती हैं, जिसमें यह इंगित किया जाना चाहिए कि आपके अनुसार इस परिणाम को क्यों बदला जाए।

आपको निम्नलिखित पते पर पत्र लिखना चाहिए:

The Secretary
Department of Health
Attn: Aged Care Assessment Program
GPO Box 9848
Sydney NSW 2001

आपको अपना पत्र प्राप्त करने के 28 दिनों के अंदर सचिव को पत्र लिखना चाहिए। आकलन के परिणाम की समीक्षा करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यदि आप इस समीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप Administrative Appeals Tribunal (एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्राइब्युनल) में जा सकते/सकती हैं। इसके लिए एक शुल्क देय है। उनकी वेबसाइट www.aat.gov.au पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें या **1800 228 333** पर कॉल करें।

आवासीय राहत देखभाल (वृद्ध देखभाल गृहों में अल्पकालीन निवास)

यदि आपके देखभालकर्ता किसी कारण से घर पर आपकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, या आप अपनी खुद की देखभाल करने से थोड़ा अवकाश लेने के/की इच्छुक हैं, तो आप एक वृद्ध देखभाल गृह में कुछ समय के लिए निवास कर सकते/सकती हैं। इसे 'आवासीय राहत देखभाल' कहा जाता है, और योजनाबद्ध या आपातकालीन आधार पर इसकी माँग की जा सकती है।

उपलब्ध देखभाल

आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वृद्ध देखभाल गृह अनेकानेक प्रकार की देखभाल और सेवाएँ उपलब्ध करा सकता है। ये देखभाल या सेवाएँ वही होनी चाहिए, जो आपको गृह में स्थायी रूप से स्थानांतरित होने पर प्राप्त होतीं।

आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 63 दिनों के लिए आवासीय राहत का उपयोग कर सकते/सकती हैं। आप या आपका प्रदाता अपने स्थानीय एसीएटी से संपर्क करके इस अवधि में 21 दिनों का विस्तार करने के लिए पूछ सकता है।

आवासीय राहत देखभाल तक पहुँच

आपको वृद्ध देखभाल गृह में राहत प्राप्त करने के लिए एसीएटी आकलन की आवश्यकता होगी। सेवाओं की उपलब्धता अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती है, और आकलन आपके क्षेत्र में उपलब्ध सहायता के आधार पर आपकी आवश्यकताएँ निर्धारित करेगा।

यदि आपको आपातकालीन राहत देखभाल की आवश्यकता है, तो अपने स्थानीय राष्ट्रमंडल राहत और देखभाल केंद्र को कार्यकाल के घंटों के दौरान **1800 052 222** पर फोन करें या कार्यकाल के घंटों से बाहर **1800 059 059** पर फोन करें।

पृष्ठ 16 पर आवासीय राहत देखभाल का शुल्क भी देखें।



वृद्ध देखभाल गृह में देखभाल प्राप्त करने के लिए मार्ग

जब आपका आकलन पूरा हो जाए और आपको वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने के लिए अनुमोदन देने वाला पत्र प्राप्त हो जाए, तो वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने और अपनी सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए इस मार्ग का पालन करें:

1 शुल्कों की गणना करें

2 वृद्ध देखभाल गृह की खोज करें

3 वृद्ध देखभाल गृह के लिए आवेदन करें और प्रस्ताव स्वीकार करें

4 अपने वृद्ध देखभाल गृह के साथ समझौतों में प्रवेश करें

5 अपनी देखभाल और सेवाओं का प्रबंधन करें

वृद्ध देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता

यदि आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा निधिकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए एक वकील आपकी सहायता कर सकता है। वयोवृद्ध देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए वकालत सेवाएँ आपको अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दे सकती हैं।

वकालत सेवाएँ निःशुल्क, गोपनीय और स्वतंत्र होती हैं। National Aged Care Advocacy Line (नैशनल एज्ड केयर एडवोकेसी लाईन) को **1800 700 600** पर कॉल करें।



1. शुल्कों की गणना करें

ऑस्ट्रेलियाई सरकार वृद्ध देखभाल गृहों के शुल्कों को समुचित और किफायती बनाए रखने के लिए छूट देती है। आपकी देखभाल आवश्यकताओं पर आधारित छूटों का भुगतान सीधे देखभाल गृह को किया जाता है।

औसत रूप से ऑस्ट्रेलियाई सरकार प्रत्येक स्थायी वृद्ध देखभाल गृह निवासी के लिए सालाना \$65,000 का योगदान देती है। इस धनराशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाती है।

यदि आप पात्र हैं, तो आपसे अपने आवास और देखभाल के शुल्क में योगदान देने की आशा की जाती है, अगर आप ऐसा करने में आर्थिक रूप से सक्षम हों।

My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) आपको अपने संभावित शुल्क का अनुमान दे सकती है। अनुमान प्राप्त करने के लिए आप **1800 200 422** पर कॉल कर सकते/सकती हैं या वेबसाइट पर उपलब्ध वृद्ध देखभाल गृह शुल्क अनुमानक का उपयोग कर सकते/सकती हैं:
www.myagedcare.gov.au/fee-estimator/residential-care/form

आपको किन शुल्कों का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है

आपको कई प्रकार के शुल्कों का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

- **सामान्य दैनिक शुल्क**

इसमें भोजन, बिजली और कपड़े धोने जैसे दैनिक जीवन के कार्यों में लगने वाले शुल्क शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है और कुछ लोगों के लिए बस यही एकमात्र शुल्क होगा जिसका उन्हें भुगतान करना होगा।

Department of Veterans' Affairs (DVA) पात्र पूर्व युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) और विक्टोरिया क्रॉस (वीसी) प्राप्तकर्ताओं के लिए सामान्य दैनिक शुल्क का भुगतान करेगा।

- **साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क**

यदि आपकी आय और संपत्ति एक निश्चित राशि से अधिक है, तो आपसे अपनी देखभाल के शुल्क में योगदान देने के लिए कहा जा सकता है। यदि आपको इस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, तो Department of Human Services (DHS) आपको इसके बारे में बताएगा और देय धनराशि आपकी आय और परिसंपत्ति के आकलन पर आधारित होगी।

पात्र पूर्व पीओडब्ल्यू और वीसी प्राप्तकर्ताओं को साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

- **आवास शुल्क**

यह गृह में आपके आवास के लिए है। कुछ लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा संपूर्ण या आंशिक रूप से आवास शुल्कों का भुगतान किया जाएगा, जबकि अन्य लोगों को वृद्ध देखभाल गृह के साथ सहमत आवास शुल्क का भुगतान करना होगा। डीएचएस आपको बताएगा कि आपकी आय और परिसंपत्ति के आकलन के आधार पर आप पर क्या लागू होता है।

- **अन्य और अतिरिक्त सेवाओं के लिए शुल्क**

यदि आप अपनी आकलित देखभाल आवश्यकताओं या आपके वृद्ध देखभाल गृह द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल और सेवाओं से अधिक ऊँची गुणवत्ता वाले आवास या अतिरिक्त सेवाओं का चयन करते/करती हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।

कर्मचारी वृद्ध देखभाल वित्त-पोषण उपकरण (एसीएफआई) नाम के एक उपकरण का प्रयोग करके आपके वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने के चार सप्ताहों के अंदर आपकी देखभाल आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। एसीएफआई का प्रयोग करके आपकी देखभाल आवश्यकताओं को वर्गीकृत करने के तरीके के बारे में अपने गृह के साथ बात करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि गृह आपसे किस प्रकार की देखभाल और सेवाओं के लिए शुल्क ले सकता है या नहीं ले सकता है। यदि आपको कम देखभाल की आवश्यकता हो, तो आपको कुछ सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि आपको ऊँची देखभाल की आवश्यकता हो, तो आपका गृह आपको कुछ सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता है।

ये शुल्क अलग-अलग गृहों के लिए अलग-अलग होते हैं, इसलिए इन सेवाओं के विवरण और लागू होने वाले शुल्कों के लिए अपने वृद्ध देखभाल गृह प्रदाता से पूछें।

आपके वृद्ध देखभाल गृह में रहने के हरेक दिन के लिए शुल्क देय होते हैं। इनकी गणना दैनिक रूप से की जाती है, लेकिन इनका भुगतान सामान्यतः पाक्षिक या मासिक रूप से किया जाता है।

अपने वित्तीय आकलन की व्यवस्था करें

आपको यह पता लगाने के लिए एक आय और परिसंपत्ति आकलन की आवश्यकता होगी कि क्या आप अपने आवास शुल्कों के लिए सरकारी सहायता हेतु पात्र हैं या नहीं और क्या आपको साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क का भुगतान करना होगा या नहीं। आपको कितने शुल्क का भुगतान करना होगा, यह इस आय और परिसंपत्ति आकलन के परिणाम पर निर्भर करता है।

आपको जल्द से जल्द एक औपचारिक आय और परिसंपत्ति आकलन की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगता है।



ये आकलन डीएचएस द्वारा किए जाते हैं, सेना-निवृत्त समुदाय के पात्र सदस्यों के अतिरिक्त जिनका आकलन डीवीए द्वारा किया जा सकता है।

अपनी आय और परिसंपत्ति आकलन हेतु आवेदन करने के लिए आपको परिसंपत्ति और आय के संयुक्त आकलन के लिए स्थायी आवासीय वृद्ध देखभाल निवेदन (एसए457) फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी।

आप डीएचएस को **1800 227 475** पर कॉल करके उनसे आपको एक प्रतिलिपि भेजने के लिए कह सकते/सकती हैं, या डीएचएस की वेबसाइट www.humanservices.gov.au/individuals/forms/sa457 से फॉर्म की एक प्रतिलिपि डाउनलोड कर सकते/सकती हैं।

यदि आप एक आय और परिसंपत्ति आकलन पूरा नहीं करते/करती हैं, तो आप अपने आवास और देखभाल शुल्कों के लिए सरकारी सहायता हेतु पात्र नहीं होंगे/होंगी। इस स्थिति में वृद्ध देखभाल गृह आपको अधिकतम साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क और आवास शुल्क (उनकी अधिकतम प्रकाशित कमरे की कीमत तक) का भुगतान करने के लिए कह सकता है।

आपके शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आय और परिसंपत्ति आकलन फॉर्म जमा करने की तिथि से कम से कम दो सप्ताह लगेंगे। इस अवधि के बाद आपको **1800 227 475** पर डीएचएस से संपर्क करके या **1800 555 254** पर डीवीए से संपर्क करके अपने आकलन की स्थिति की जाँच करनी चाहिए।

शुल्क अधिसूचना पत्र

यदि आप वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने से पहले वित्तीय आकलन कराते/कराती हैं, तो आपको अधिकतम शुल्क के बारे में एक पत्र प्राप्त होगा जिसका भुगतान करने के लिए आपको कहा जा सकता है। यह परामर्श 120 दिनों तक मान्य होगा – यदि आपकी परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो, तो। यदि आपकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हो, तो आपको डीएचएस या डीवीए को सूचित करना होगा जो आपके शुल्क परामर्श पत्र को पुनः जारी करेंगे।

आपको संभावित वृद्ध देखभाल गृहों के साथ किसी भी चर्चा में इस पत्र को अपने साथ ले जाना चाहिए, जिससे कि आपको उनके गृह में रहने के शुल्कों के बारे में समझने में सहायता मिल सके।

वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश कर लेने के बाद डीएचएस आपको और आपके गृह को निम्नलिखित अधिकतम शुल्कों को दर्शाने वाला एक पत्र भेजेगा, जिनका आपको भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है:

- सामान्य दैनिक शुल्क, और
- साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क, यदि कोई हो तो, या
- आवास के लिए योगदान, यदि कोई हो तो।

आपके साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क या आवास के लिए योगदान में हरेक बार कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर डीएचएस आपको और आपके वृद्ध देखभाल गृह को एक पत्र भेजेगा।

आवास शुल्क

अपने आवास के लिए आपको निम्नलिखित में से किसी एक का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है:

- कोई आवास शुल्क नहीं: यदि आपकी आय और परिसंपत्ति एक निश्चित धनराशि से कम है, तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार आपके आवास शुल्कों का भुगतान करेगी।
- 'आवास के लिए योगदान': यदि आपको अपने आवास के शुल्क के कुछ अंश का भुगतान करने की आवश्यकता है, बाकी शुल्क का भुगतान ऑस्ट्रेलियाई सरकार करेगी।
- 'आवास के लिए भुगतान': यदि आपको अपने आवास के लिए संपूर्ण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है, आपको अपने प्रदाता के साथ कमरे की कीमत तय करनी होगी।

डीएचएस आपको बताएगा कि आपके लिए क्या लागू होता है। चाहे आपको अपने आवास के लिए कुछ भुगतान करना हो या नहीं, वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने वृद्ध देखभाल गृह के साथ कमरे की कीमत पर लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी (My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) पर अधिकतम प्रकाशित कमरे की कीमत तक)। आपके द्वारा सहमत कमरे की कीमत को गृह में प्रवेश करने से पहले आपको दिए गए आवासीय समझौते में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

यदि आपको आवास के लिए योगदान या आवास के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है, तो आपके पास भुगतान करने के तरीके के बारे में निर्णय लेने के लिए गृह में प्रवेश करने के बाद 28 दिनों तक का समय उपलब्ध होगा। आप निम्नलिखित तरीकों से अपने आवास शुल्कों का भुगतान करने का चयन कर सकते/सकती हैं:

- एकमुश्त 'वापसी-योग्य आवास जमाराशि' (आरएडी) या 'वापसी-योग्य आवास योगदान' (आरएसी)
- किराए पर आवास लेने के भुगतानों के समान 'दैनिक आवास भुगतान' (डीएपी) या 'दैनिक आवास योगदान' (डीएसी)
- एकमुश्त और किराए पर आवास लेने के समान भुगतानों का एक संयोजन (आरएडी और डीएपी या आरएसी और डीएसी)।

जब तक आप यह न तय कर लें कि आप अपने आवास के लिए भुगतान कैसे करना चाहते/चाहती हैं, तब तक आपको किराए पर आवास लेने की भुगतान विधि द्वारा अपने आवास शुल्कों का भुगतान करना होगा।

यदि आपको आवास के लिए योगदान देने के लिए कहा गया है, तो आपको भुगतान की जाने वाले अधिकतम राशि के बारे में डीएचएस द्वारा बताया जाएगा।



आवास शुल्क के लिए भुगतान लेने वाले सभी वृद्ध देखभाल गृहों को My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) वेबसाइट पर उपलब्ध वृद्ध देखभाल गृह सेवा खोजक में अपने आवास शुल्कों को प्रकाशित करना आवश्यक है: www.myagedcare.gov.au/service-finder/aged-care-homes

क्या मुझे My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) पर अधिकतम प्रकाशित कमरे की कीमत का भुगतान करना पड़ेगा?

विज्ञापन में दर्शाई गई कमरे की कीमत अधिकतम शुल्क होता है जिसका भुगतान करने के लिए वृद्ध देखभाल गृह आपको कह सकता है, परंतु आप वृद्ध देखभाल गृह के साथ सीधे बात करके कम शुल्क तय कर सकते/सकती हैं।

आवासीय राहत देखभाल शुल्क

यदि आपको किसी वृद्ध देखभाल गृह के माध्यम से आवासीय राहत देखभाल प्राप्त होती है, तो आपको किसी भी आवास शुल्क या साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

आपसे एक सामान्य दैनिक शुल्क और कदाचित एक आरक्षण शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा की जा सकती है।

डीवीए पात्र सेना-निवृत्त व्यक्तियों और युद्ध विधवाओं/विधुरों के लिए सामान्य दैनिक शुल्क का भुगतान कर सकता है। आकलन करवाने हेतु सेना-निवृत्त व्यक्तियों के लिए गृह देखभाल को **1300 550 450** पर कॉल करके संपर्क करें।

आरक्षण शुल्क आवासीय राहत देखभाल शुल्क के लिए एक पूर्व-भुगतान है, न कि अतिरिक्त भुगतान। आरक्षण शुल्क पूरे सप्ताह के लिए सामान्य दैनिक शुल्क या निवास की पूरी अवधि के शुल्क के 25% – इन दोनों में से जो भी धनराशि कम हो, उससे अधिक नहीं हो सकता है।

आपको अन्य या अतिरिक्त देखभाल और सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए भी कहा जा सकता है।

वित्तीय कठिनाई सहायता

यदि आपको अपने नियंत्रण से परे कारणों की वजह से अपनी देखभाल और आवास शुल्कों का भुगतान करने में कठिनाई हो रही है, तो सहायता उपलब्ध है। वित्तीय कठिनाई सहायता इन शुल्कों का भुगतान करने में आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। अपनी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर आप अपने सामान्य दैनिक शुल्क, साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क और/या आवास शुल्कों का भुगतान करने में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं।

वित्तीय कठिनाई सहायता के लिए आवेदन करने के तरीके सहित इसके बारे में और अधिक जानकारी My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) की वेबसाइट पर उपलब्ध है, या आप My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को **1800 200 422** पर कॉल कर सकते/सकती हैं।



वित्तीय जानकारी और शिक्षा

आप डीएचएस वित्तीय सूचना सेवा से अपने पैसे के प्रबंधन के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं। यह निःशुल्क गोपनीय सेवा आपको अपनी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए निवेश और पैसे से संबंधित मामलों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकती है। वित्तीय सूचना सेवा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए डीएचएस को **132 300** पर कॉल करें और संकेत मिलने पर 'financial information service' कहें।



2. वृद्ध देखभाल गृह की खोज करें

किसी वृद्ध देखभाल गृह के बारे में निर्णय लेते समय यह पता लगाना महत्वपूर्ण होता है कि क्या उस गृह में आपकी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप देखभाल और सेवाएँ उपलब्ध हैं या नहीं। अपने लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज करने का सबसे अच्छा तरीका कुछ अलग-अलग गृहों को देखने के लिए जाना जाता है, जिससे कि आप निम्नलिखित बातों की जाँच कर सकें:

- आवास कैसा है
- वे किस तरह की देखभाल, सेवाएँ और गतिविधियाँ उपलब्ध कराते हैं
- वे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सर्वोत्तम तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं
- देखभाल और सेवाओं के लिए आपको कितने शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है
- आवास के लिए क्या शुल्क हैं
- क्या वे कोई अतिरिक्त सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।

वृद्ध देखभाल गृह सेवा खोजक का प्रयोग करके अपने स्थानीय क्षेत्र में अपने आकलनकर्ता की सहायता से प्रदाताओं की खोज करें:

www.myagedcare.gov.au/service-finder/aged-care-homes या My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को **1800 200 422** पर कॉल करें। फिर आप मुलाकात के लिए समय नियुक्त करने हेतु उनके साथ संपर्क कर सकते/सकती हैं।

प्रदाताओं से मिलें

किसी भी वृद्ध देखभाल गृह में जाने से पहले अपने लिए महत्वपूर्ण बातों की सूची बनाना एक अच्छा विचार होता है। हो सकता है कि आप अपने साथ निम्नलिखित ले जाना चाहें:

- एसीएटी आकलनकर्ता से प्राप्त पत्र और रेफरल कोड के विवरण, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गृह यह जानने के इच्छुक हों कि आपको आवासीय देखभाल प्राप्त करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है और आपको किन सेवाओं की आवश्यकता है
- डीएचएस से प्राप्त शुल्क अधिसूचना पत्र, यदि आपके पास पहले से ही वित्तीय आकलन का परिणाम हो।

जब आप किसी गृह में जाएँ, तो आप इस बारे में टिप्पणियाँ लिखने के इच्छुक हो सकते/सकती हैं कि आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया और क्या आप वहाँ सहज महसूस करते/करती हैं या नहीं। कर्मचारियों और माहौल के बारे में आपके विचार इस बात का निर्णय लेने में आपकी सहायता करेंगे कि आपके लिए कौन सा गृह सही है।

इस पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर दी गई जाँचसूची का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करने वाले प्रदाताओं के बारे में अनुसंधान और खोज करने में सहायता प्राप्त करें।

आप प्रदाताओं से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते/सकती हैं:

- किस तरह की देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और प्रदान नहीं की जाती हैं? मुझे किन सेवाओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी?
- क्या आप दवाई लेने या घाव की देखभाल करने जैसी मेरी चिकित्सीय आवश्यकताओं में मदद कर सकते हैं?
- क्या आप मेरी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? इनमें भाषा और संस्कृति, धार्मिक मान्यताएँ, लैंगिक अभिविन्यास या पहचान, पालतू पशु और चिकित्सीय मुलाकातों तक पहुँच प्राप्त करना शामिल हो सकता है।
- भोजन की क्या व्यवस्था है? इनमें बैठने, समय, मेन्यू, आगंतुक, अपने कमरे में भोजन करना और विशेष आहार शामिल हैं।
- आप मेरी गोपनीयता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
- सामाजिक और साँस्कृतिक गतिविधियों का निर्णय कैसे लिया जाता है? मेरी अभिरुचियों को ध्यान में कैसे रखा जाता है?
- दुकानों में, परिजनों और दोस्तों के पास या चिकित्सीय नियुक्तियों पर जाने के लिए मुझे किस प्रकार के परिवहन तक पहुँच प्राप्त होगी? इस पर कितना खर्चा होगा?
- देखभाल कर्मियों को क्या प्रशिक्षण दिया गया है? यदि, और जब भी, मुझे योग्यता-प्राप्त नर्सों की आवश्यकता हो तो क्या मुझे उन तक पहुँच प्राप्त होगी?
- रात के दौरान कितने कर्मचारी देखभाल उपलब्ध कराते हैं?
- मेरी देखभाल में मेरे/मेरी जीवनसाथी, परिजनों और दोस्तों को कैसे शामिल किया जा सकता है? यदि आवश्यक हो, तो क्या वे पूरी रात-भर वहाँ रह सकते हैं? यदि मैं पूरी रात-भर परिजनों के साथ रहना चाहता/चाहती हूँ, तो क्या यह संभव होगा?
- क्या आप नियुक्तियों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या मैं अपने खुद के जीपी और अन्य स्वास्थ्य चिकित्सकों को देखना जारी रख सकता/सकती हूँ?
- गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी जाँचें की जाती हैं?
- इस गृह का अपने मान्यता ऑडिट में कैसा प्रदर्शन था?
- देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?
- आप किन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं और आपने क्या परिणाम देखा है?
- आप वयोवृद्ध लोगों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं को निर्णय लेने या गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कैसे शामिल करते हैं?
- क्या मुझे कभी वृद्ध देखभाल गृह छोड़ने या अपना कमरा बदलने के लिए कहा जाएगा?



3. वृद्ध देखभाल गृह के लिए आवेदन करें और प्रस्ताव स्वीकार करें

जैसे-जैसे आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वृद्ध देखभाल गृह देखने को मिलते हैं, आप एक स्थान के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते/सकती हैं। आप जितने चाहें, उतने गृहों के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। एक से अधिक गृहों के लिए आवेदन करना एक अच्छा विचार होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ज़रूरत के समय आपके पसंदीदा गृह में कोई स्थान उपलब्ध न हो। जब एक स्थान उपलब्ध हो जाता है, तो वृद्ध देखभाल गृह आपसे या आपके मनोनीत संपर्क व्यक्ति से संपर्क करेगा।

आवेदन पत्र भरें

प्रत्येक वृद्ध देखभाल गृह की अपनी खुद की आवेदन प्रक्रिया होती है और वे आपसे फॉर्म भरने के लिए कह सकते हैं। जिन गृहों में आपकी अभिरुचि हो, उनके साथ बात करें और पता लगाएँ कि उनकी प्रक्रिया क्या है और उन्हें किस जानकारी की आवश्यकता है।

आपको अपने चुने हुए प्रदाता(ओं) को एसीएटी से प्राप्त अनन्य रेफरल कोड देना होगा। इससे वे आपका सेवार्थी रिकॉर्ड देख पाएँगे और वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने में आपको सहायता देने के लिए आपकी देखभाल आवश्यकताओं पर विचार कर पाएँगे।

प्रस्ताव स्वीकार करें

जब एक स्थान उपलब्ध हो जाता है, तो वृद्ध देखभाल गृह आपके या आपके मनोनीत संपर्क व्यक्ति के साथ संपर्क करेगा। जब आप किसी वृद्ध देखभाल गृह में स्थान का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते/लेती हैं, तो वह गृह आपको औपचारिक समझौते प्रस्तुत करेगा जिनमें सेवाएँ, आवास शुल्क, और आपके अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल होंगी।

इस पुस्तिका के अंत में दी गई जाँचसूची का उपयोग करके गृह में अपने प्रवेश करने की तैयारी करें। इसमें आपके चिकित्सीय और वित्तीय मुद्दों के बारे में व्यवस्था करना शामिल है, और आपको अपने स्थानान्तरण के बारे में किसे बताने की आवश्यकता होगी, यह भी शामिल है।



4. अपने वृद्ध देखभाल गृह के साथ समझौतों में प्रवेश करें

वृद्ध देखभाल गृह में स्थान स्वीकार कर लेने के बाद और गृह में प्रवेश करने से पहले उन्हें आपको एकनिवासी समझौता देना होगा।

आपको देखभाल में प्रवेश करने से पहले गृह के साथ एक आवासीय समझौता भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस समझौते को आपके निवासी समझौते के एक भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है, या फिर यह अलग भी हो सकता है।

निवासी समझौता और आवासीय समझौता आपके और आपके वृद्ध देखभाल गृह के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ होते हैं। ये निम्नलिखित बातें तय करते हैं:

- कौन सी देखभाल और सेवाएँ उपलब्ध हैं
- आपको कितना शुल्क देना होगा
- शुल्क का भुगतान कैसे किया जा सकता है
- आपके अधिकार और जिम्मेदारियाँ।

समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले आपके लिए सब कुछ समझना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न हैं, तो आपको अपने नए वृद्ध देखभाल गृह से उन्हें पूछना चाहिए। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको प्रस्तुत किए गए समझौते स्पष्ट हों।

हो सकता है कि प्रस्तुत किए गए समझौतों में आपके विचार से महत्वपूर्ण सभी चीजें शामिल न हों, इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले जाँच करना एक अच्छा विचार होता है। आप निम्नलिखित कार्य भी कर सकते/सकती हैं:

- अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने प्रदाता से पूछना, जैसे गृह की भोजन और आगंतुक नीति, और गृह में रहने के बारे में अन्य विवरण
- अपने परिवार, दोस्तों, देखभालकर्ता, वित्तीय सलाहकार या कानूनी व्यावसायिक से पूछना, जो आपको अपने समझौतों की शर्तों को समझने में मदद कर सकते हैं
- वकील से सहायता प्राप्त करना। राष्ट्रीय वृद्ध देखभाल वकालत लाइन को **1800 700 600** पर कॉल करें।

अपने पसंदीदा प्रदाता के साथ अपने समझौते पर चर्चा करने में सहायता के लिए इस पुस्तिका के अंत में दी गई जाँचसूची का प्रयोग करें।

अपनी देखभाल और आवास के शुल्कों के बारे में चर्चा करने में सहायता

आप किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से वृद्ध देखभाल प्रदाता के साथ अपनी फीस और आवास शुल्कों के बारे में चर्चा करने के लिए कह सकते/सकती हैं।

आपको या आपकी सहायता करने वाले व्यक्ति को गृह में आपके प्रवेश करने से पहले वृद्ध देखभाल गृह के साथ किसी भी आवास शुल्क और फीस के बारे में चर्चा करने और औपचारिक रूप से सहमत होने की आवश्यकता होगी।

समझौतों पर हस्ताक्षर करना

निवासी समझौते या आवासीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आपके ऊपर कोई समय-सीमा या अनिवार्यता लागू नहीं होती है। परंतु अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था के लिए जल्दी से जल्दी अपनी सहमति देना आपके सर्वोत्तम हित में होता है।

यदि आप इन समझौतों पर हस्ताक्षर न करने का चयन करें, फिर भी वृद्ध देखभाल गृह के लिए आपकी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करना आवश्यक होगा। यह बातचीत आपको प्राप्त होने वाली देखभाल और सेवाओं के प्रकार तथा लागू होने वाले शुल्क के बारे में एक मौखिक समझौता होता है। गृह में प्रवेश करते समय आपको फिर भी अपने दैनिक शुल्क और अन्य प्रासंगिक आवास शुल्कों का भुगतान करना होगा।

आप अपने आवास शुल्कों का भुगतान कैसे करना चाहते/चाहती हैं, यह तय करने के लिए आपके पास अपने वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने के बाद 28 दिनों का समय होगा। जब तक आप इस बारे में अंतिम निर्णय न ले लें, तब तक आपको किराए पर आवास लेने की भुगतान विधि द्वारा अपने आवास के लिए भुगतान करना होगा।

अधिकार और जिम्मेदारियाँ

देखभाल प्राप्तकर्ताओं के अधिकार और दायित्व पत्र - आवासीय देखभाल के तहत आपके और आपके प्रदाता के लिए जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपको सबसे अच्छी देखभाल प्राप्त हो।

आपके वृद्ध देखभाल गृह में प्राधिकार पत्र को प्रदर्शित किया जाएगा, या जब आपका गृह आपको निवासी समझौता प्रस्तुत करे तो उस समय आप चार्टर की एक प्रतिलिपि दिए जाने के लिए पूछ सकते/सकती हैं।



5. अपनी देखभाल और सेवाओं का प्रबंधन करें

अपने डॉक्टर, डेंटिस्ट या विशेषज्ञ के पास जाना

आप अपने डॉक्टर, डेंटिस्ट या विशेषज्ञ से सेवाएँ प्राप्त करना जारी रख सकते/सकती हैं। यदि आवश्यक हो, तो आपके वृद्ध देखभाल गृह को आपकी पसंद के डॉक्टरों या विशेषज्ञों के साथ नियुक्ति लेने और उनके पास जाने में मदद करनी चाहिए। इन नियुक्तियों की व्यवस्था करने के लिए आपको गृह को कुछ भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु आपको सामान्यतः परामर्श शुल्क का भुगतान करना होगा।

आपका वृद्ध देखभाल गृह आपको अपने चिकित्सीय नियुक्तियों के लिए जाने और वहाँ से वापिस आने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने में भी मदद कर सकता है। आपको परिवहन और अपने साथ किसी कर्मी को ले जाने के लिए भुगतान करना पड़ सकता है।

सामाजिक गतिविधियाँ

आपका वृद्ध देखभाल गृह सामाजिक और अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करेगा। उन्हें अपने शौकों और अभिरुचियों के बारे में बताएँ, जिससे कि वे गृह में आपके निवास के दौरान आपको अपने शौकों और अभिरुचियों को जारी रखने में मदद दे सकें। वे आपको अन्य गतिविधियों का आनंद उठाने के सुझाव भी दे सकते/सकती हैं।

सामुदायिक आगंतुक

यदि आप एकाँगी महसूस कर रहे/रही हैं और आपका परिवार या दोस्तों के साथ नियमित रूप से संपर्क नहीं होता है, तो सामुदायिक आगंतुक योजना (सीवीएस) आपको सामाजिक संपर्क के लिए अवसर प्रदान कर सकती है।

यदि आप किसी सामुदायिक आगंतुक से मिलना चाहें, तो आप अपने वृद्ध देखभाल गृह को इसके बारे में बता सकते/सकती हैं। यदि आपके परिवार और दोस्तों को लगे कि आपको सीवीएस से लाभ होगा, तो वे भी गृह को इसके बारे में बता सकते हैं। आपका वृद्ध देखभाल गृह भी सीवीएस से सीधे संपर्क कर सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट (www.health.gov.au) पर जाएँ और “CVS Network Members” की खोज करके अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र में संपर्क विवरण पता करें या My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को **1800 200 422** पर कॉल करें। एलजीबीटीआई वयोवृद्ध लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी एक सीवीएस उपलब्ध है।

अवकाश लेना

क्या मैं अवकाश पर जा सकता/सकती हूँ?

यदि आप अवकाश पर जाना चाहते/चाहती हैं या परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए जाना चाहते/चाहती हैं, तो आप अपने वृद्ध देखभाल गृह से एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 52 रातों के लिए सामाजिक अवकाश का उपयोग कर सकते/सकती हैं। आपको इस अवधि के लिए भी अपने सामान्य शुल्क और आवास शुल्कों का भुगतान करना होगा।

यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 52 रातों से अधिक के लिए बाहर रहते/रहती हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार छूट का भुगतान करना बंद कर देगी और आपका वृद्ध देखभाल गृह आपको बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है।

अगर मुझे अस्पताल जाना हो, तो क्या होगा?

यदि आपको अस्पताल जाना हो, तो जितनी अवधि के लिए आप बाहर रहते/रहती हैं वह समय आपके सामाजिक अवकाश में नहीं गिना जाएगा, लेकिन आपको फिर भी अपने सामान्य शुल्क और आवास शुल्कों का भुगतान करना होगा।

कमरे बदलना

यदि आप अपने वृद्ध देखभाल गृह से संतुष्ट हैं लेकिन अपना कमरा बदलना चाहते/चाहती हैं, तो आप अपने गृह प्रबंधक से पूछ सकते/सकती हैं। चाहे आपके लिए तुरंत कोई अन्य कमरा प्रस्तुत करना संभव न हो, फिर भी उन्हें आपके निवेदन पर विचार करना होगा।

यदि आप अपना कमरा बदलते/बदलती हैं, तो आपको एक नए आवासीय समझौते और आवासीय शुल्क के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए - यदि आप एक साझा किए जाने वाले कमरे से एकल कमरे में बदले जाने का चयन करते/करती हैं। आपको नए कमरे से जुड़े अन्य या अतिरिक्त सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए भी कहा जा सकता है।

क्या वृद्ध देखभाल गृह मुझे अपना कमरा बदलने के लिए कह सकता है?

कुछ परिस्थितियों में यदि आपने निवेदन न भी किया हो, तो भी आपको किसी अन्य कमरे में भेजा जा सकता है। यदि आपके पास अपना कमरे बदलने या कमरा बदले जाने के तरीके के बारे में कोई चिंताएँ हैं, तो अपने वृद्ध देखभाल गृह के प्रबंधक से बात करें।



अपनी चिंताएँ व्यक्त करना

यदि आप प्राप्त देखभाल या सेवाओं से प्रसन्न नहीं हैं, तो आपको अपनी चिंताएँ व्यक्त करने का अधिकार है:

- यह देखने के लिए पहले अपने सेवा प्रदाता से अपनी शिकायत के बारे में बात करना सबसे अच्छा रहता है कि क्या वे मदद कर सकते हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसका आसानी से समाधान किया जा सके।
- यदि आप चाहें, तो आप अपने वृद्ध देखभाल सेवा प्रदाता के साथ मुलाकात के समय अपने साथ परिवार के किसी सदस्य, दोस्त, देखभालकर्ता या वृद्ध देखभाल वकील को रख सकते/सकती हैं।

अगर सेवा प्रदाता द्वारा शिकायत का समाधान न किया जा सके, या आप उनके सामने अपनी चिंता व्यक्त करने में सहज महसूस न करें, तो आप वृद्ध देखभाल शिकायत आयुक्त के पास अपनी चिंता व्यक्त कर सकते/सकती हैं।

यह एक निःशुल्क सेवा है और आप निम्नलिखित तरीकों से उनसे संपर्क कर सकते/सकती हैं:

- फोन – **1800 550 552**
- ऑनलाइन – www.agedcarecomplaints.gov.au
- लिखित में - अपनी लिखित शिकायत को इस पते पर भेजें:

Aged Care Complaints Commissioner

GPO Box 9848

(आपका राजधानी शहर और राज्य/राज्य-क्षेत्र)



और अधिक सहायता

अनुवाद और दुभाषिया सेवाएँ

यदि आप अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते/करती हैं, तो आप स्थानीय कॉल के शुल्क पर अनुवाद और दुभाषिया सेवा (टीआईएस नेशनल) को **131 450** पर कॉल कर सकते/सकती हैं। टीआईएस नेशनल 100 से भी अधिक भाषाओं में सेवाएँ उपलब्ध कराता है। **1800 200 422** पर कॉल करें और My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) के लिए पूछें।

सुनने या बोलने में कठिनाइयों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सहायता

National Relay Service (NRS) के माध्यम से My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) के साथ संपर्क करें। और अधिक जानकारी के लिए एनआरएस की वेबसाइट (www.relayservice.gov.au) पर जाएँ और अपना पसंदीदा एक्सेस पॉइंट चुनें या एनआरएस हेल्पडेस्क को **1800 555 660** पर कॉल करें।

विभिन्न आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए सहायता

सभी पृष्ठभूमियों के वयोवृद्ध ऑस्ट्रेलियावासियों के लिए कार्यक्रम, सूचना और समर्थन उपलब्ध हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी व्यक्ति
- साँस्कृतिक या भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमियों वाले व्यक्ति
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति
- आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति
- सेना-निवृत्त व्यक्ति, उनके आश्रित व्यक्ति और विधवा या विधुर व्यक्ति
- बेघरबार या बेघरबार होने के खतरे वाले व्यक्ति
- पुरुष-समलैंगिक, स्त्री-समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर या अंतर्लिंगी व्यक्ति
- देखभाल का त्याग करने वाले व्यक्ति (ऐसा वयस्क, जिसने बचपन में संस्थागत या दत्तक देखभाल में समय व्यतीत किया)
- बलपूर्वक गोद लिए जाने या अलग किए जाने वाले बच्चों के माता-पिता।

आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बारे में अवगत होने से आपके प्रदाता को आपकी विविधता के लिए समुचित और सम्मानजनक देखभाल तथा समर्थन प्रदान करने में सहायता मिलती है।

देखभालकर्ताओं के लिए सहायता

यदि आपके देखभालकर्ता को अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है, तो देखभालकर्ताओं को समर्थन देने वाली सेवाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कैरर गेटवे से **1800 422 737** पर संपर्क करें या www.carergateway.gov.au पर जाएँ।

और अधिक जानकारी

शुल्कों के बारे में अतिरिक्त जानकारी सहित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) की वेबसाइट (www.myagedcare.gov.au) पर जाएँ।

कॉल करने के शुल्क

13/1300 नंबर – लैंडलाइन और मोबाइल फोन से 13/1300 नंबरों पर कॉल करने के लिए अलग शुल्क लगते हैं। घर में स्थित लैंडलाइन से 13/1300 नंबरों पर कॉल करने के लिए स्थानीय कॉल के समान शुल्क लगता है। मोबाइल फोन से की गई कॉलों के लिए अधिक शुल्क लग सकता है।

1800 नंबर – घर में स्थित लैंडलाइनों से 1800 नंबरों पर कॉल करना निःशुल्क होता है और अब अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई मोबाइल फोन प्रदाता 1800 नंबरों पर निःशुल्क कॉलें उपलब्ध कराते हैं - अपने मोबाइल फोन प्रदाता से पूछें।



जाँचसूची – शुल्कों की गणना करें और वृद्ध देखभाल गृह की खोज करें

अपनी देखभाल और आवास शुल्क के लिए भुगतान की जाने वाली आवश्यक धनराशि की गणना करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रदाता की खोज करने में सहायता के लिए इस जाँचसूची का उपयोग करें।

अपने आकलन के बाद

- अपने एसीएटी से अनुमोदन पत्र और समर्थन योजना प्राप्त करें।

शुल्कों का अनुमान लगाएँ

- My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) वेबसाइट पर उपलब्ध वृद्ध देखभाल गृहों के लिए शुल्क अनुमानक का प्रयोग करके शुल्कों का अनुमान लगाएँ:
www.myagedcare.gov.au/fee-estimator/residential-care/form

वित्तीय आकलन की व्यवस्था शीघ्र करें

- डीएचएस को **1800 227 475** पर कॉल करें और उनसे अपने लिए आय और परिसंपत्ति आकलन फॉर्म भेजने के लिए कहें या डीएचएस की वेबसाइट से एक प्रतिलिपि डाउनलोड करें:
www.humanservices.gov.au/individuals/forms/sa457
- डीएचएस या डीवीए के पास आय और परिसंपत्ति आकलन फॉर्म जमा करें
- यदि आपकी वित्तीय परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है, तो डीएचएस या डीवीए को इसके बारे में सूचित करें और वे आपके लिए फिर से शुल्क परामर्श पत्र जारी करेंगे
- आप फीस और आवास के भुगतानों के बारे में डीएचएस के साथ अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते/सकती हैं: अपने वृद्ध देखभाल गृह या डीएचएस की वेबसाइट से उपलब्ध नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति फॉर्म भरें या फिर **1800 227 475** पर कॉल करके उनसे अपने लिए इस फॉर्म की एक प्रतिलिपि भेजने के लिए कहें।

अपनी अभिरुचि के वृद्ध देखभाल गृहों की एक संक्षिप्त-सूची बनाएँ

- My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) वेबसाइट पर उपलब्ध सेवा खोजक का प्रयोग करके या My Aged Care (मेरी वृद्ध देखभाल) को **1800 200 422** पर कॉल करके अपने क्षेत्र में उपलब्ध वृद्ध देखभाल गृहों की खोज करें। शुल्क टैब आपको आवास शुल्कों के बारे में अनुमान दे सकता है।

अपनी पसंद के वयोवृद्ध देखभाल गृहों में उपलब्ध सुविधाओं और उनके शुल्कों के बारे में चर्चा करने के लिए उनसे संपर्क करें/वहाँ जाएँ

- अपने एसीएटी से प्राप्त अपना अनुमोदन पत्र साथ ले जाएँ
- डीएचएस से प्राप्त अपना शुल्क अधिसूचना परामर्श पत्र अपने साथ ले जाएँ
ध्यान दें: यदि आपने अभी अपनी आय और परिसंपत्ति आकलन की व्यवस्था नहीं की है, तो डीएचएस को **1800 227 475** पर कॉल करें
- अपने लिए महत्वपूर्ण बातों और पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाएँ
- प्रत्येक गृह, जिसे आप देखने के लिए जाते/जाती हैं, उसके बारे में टिप्पणियाँ लिखें, उदाहरण के लिए - आपको क्या पसंद आया/नहीं पसंद आया और कर्मचारियों और माहौल के बारे में आपके क्या विचार थे।
- फीस और आवास के लिए भुगतानों के बारे में पूछें
- उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं और उनके शुल्कों के बारे में पूछें
- वृद्ध देखभाल गृह के आवेदन-पत्र का प्रयोग करके अपनी पसंद के गृह/गृहों में स्थान के लिए आवेदन करें।

जाँचसूची - समझौतों में प्रवेश करना

जब आप एक वृद्ध देखभाल गृह में स्थान का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते/लेती हैं, तो वह गृह आपको एक निवासी समझौता और एक आवासीय समझौता प्रस्तुत करेगा। इन दोनों को एक समझौते में संयोजित किया जा सकता है।

आप किसी अन्य व्यक्ति से अपनी देखभाल के शुल्क के बारे में वृद्ध देखभाल प्रदाता के साथ चर्चा करने के लिए कह सकते/सकती हैं। आप इस नामांकित व्यक्ति को अपने निवासी समझौते में शामिल कर सकते/सकती हैं।

गृह में प्रवेश करने से पहले लिखित रूप से कमरे के शुल्क पर सहमति दें।

अपने निवासी समझौते में निम्नलिखित बातों के लिए जाँच करें:

- अपने वृद्ध देखभाल गृह का नाम
- देखभाल और सेवाएँ, जो वह गृह उपलब्ध कराएगा
- अपनी फीस और आवास के लिए भुगतानों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नीतियाँ और प्रथाएँ
- दैनिक शुल्क, जिसका भुगतान करने के लिए आपको कहा जाएगा
- साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क, यदि लागू हो तो
- अन्य वैकल्पिक देखभाल या सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क, जिनके लिए आपने सहमति दी है (जो देखभाल और सेवाएँ वह गृह आपकी देखभाल आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध कराएगा, उनके अतिरिक्त)
- निवासियों और वृद्ध देखभाल गृह के अधिकार और जिम्मेदारियाँ
- वृद्ध देखभाल गृह शिकायतों का प्रबंधन कैसे करता है
- ऐसी कोई परिस्थितियाँ जिनमें आपको गृह छोड़कर जाने के लिए कहा जा सकता है और वृद्ध देखभाल गृह आपको निवास के लिए किसी अन्य स्थान की खोज करने में सहायता कैसे देगा
- आपके और वृद्ध देखभाल गृह के बीच कोई अन्य सहमत मामले।

अपने आवासीय समझौते में निम्नलिखित बातों के लिए जाँच करें:

- आवासीय शुल्क, जिसका भुगतान करने के लिए आपने गृह को सहमति दी है
- अपने आवासीय शुल्क या योगदान के लिए अन्य शर्तें, और यदि लागू हों तो आपके गृह छोड़कर चले जाने या आपका स्वर्गवास हो जाने पर एकमुश्त शेष राशि वापस करने के लिए परिस्थितियाँ
- यदि आप अतिरिक्त सेवाओं वाले स्थान में प्रवेश कर रहे/रही हैं, तो ऊँची गुणवत्ता वाले आवास, भोजन और गैर-देखभाल सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क
- अन्य देखभाल या सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क, जिनका भुगतान करने के लिए आपने सहमति दी है
- यदि आप आवासीय शुल्क या योगदान का भुगतान करते/करती हैं, या इन दोनों में से किसी का भी भुगतान नहीं करते/करती हैं, तो आपके लिए उपलब्ध कराया जाने वाला विशिष्ट आवास
- आपके आवास शुल्कों में शामिल कोई सेवाएँ
- कमरा बदलने की शर्तें।

आप अपने आवास के लिए कैसे भुगतान करना चाहते/चाहती हैं, यह तय करने के लिए आपके पास अपने वृद्ध देखभाल गृह में प्रवेश करने के बाद 28 दिनों का समय होगा।

जाँचसूची – प्रवेश के लिए तैयारी करना

वृद्ध देखभाल गृह में स्थान का प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद आपको अपने स्थानान्तरण के बारे में किसे सूचित करना चाहिए, इसकी जाँच करने के लिए इस सूची का प्रयोग करें।

परिवार और दोस्त

- आपके परिवार और दोस्त, देखभालकर्ता और पड़ोसी।

स्वास्थ्य व्यावसायिक

- आपका डॉक्टर/जीपी
 - > यदि आपको अपना डॉक्टर बदलने की आवश्यकता हो, तो अपने नए डॉक्टर के पास अपना चिकित्सीय इतिहास भेजने के लिए कहें
 - > अपने वर्तमान चिकित्सीय उपचारों और दवाइयों को नोट करें, ताकि आप अपनी देखभाल योजना के एक भाग के रूप में अपने नए वृद्ध देखभाल गृह के साथ इसके बारे में चर्चा कर सकें
- अन्य स्वास्थ्य व्यावसायिक, जिनके पास आप नियमित रूप से जाते/जाती हैं, उदाहरण के लिए विशेषज्ञ, डेंटिस्ट, आदि
- आपकी सामुदायिक नर्स
- आपका फार्मासिस्ट।

घरेलू समर्थन में सहायक व्यक्ति

- आपका माली या लॉन में घास काटने वाला व्यक्ति
- आपके घर की साफ-सफाई या अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति
- मील्स ऑन व्हील्स और अन्य समर्थन सेवाएँ
- आपका गृह देखभाल पैकेज प्रदाता।

सरकारी विभाग और एजेंसियाँ

- Department of Veterans' Affairs (DVA) – **1800 555 254**
- Department of Human Services (DHS) **132 300**
- Australian Taxation Office – **132 861**
- Medicare – **132 011**
- Australian Electoral Commission का आपका स्थानीय कार्यालय
- आपका स्थानीय सड़क और परिवहन प्राधिकरण (आपके चालक लाइसेंस के लिए)
- आपका स्थानीय डाकघर
- आपकी स्थानीय परिषद।

पैसे और बीमा

- आपकी स्वास्थ्य बीमा कंपनी
- आपकी सुपरएनुएशन कंपनी
- आपका बैंक, बिल्लिंग सोसाइटी या क्रेडिट यूनियन।

अन्य

- फोन, गैस, बिजली और पानी जैसी उपयोगिताएँ
- अन्य वृद्ध देखभाल गृह जहाँ आपने आवेदन किया गया है, यदि अब आप वहाँ नहीं जाना चाहते/चाहती हैं (परंतु यदि आप उन गृहों में अभी भी रुचि रखते/रखती हैं, तो आप अपना आवेदन खुला रखने का चयन कर सकते/सकती हैं)।

सहायता के लिए www.myagedcare.gov.au पर जाएँ या **1800 200 422** पर फोन करें।
इस प्रकाशन में दी गई सभी जानकारी जून 2018 तक सही है।